

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 419

दिनांक-09.04.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 338 दिनांक 20.03.2025 द्वारा माह अप्रैल 2025 में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, प्रशासनिक कारणों से पूर्व आदेश क्रमांक 338 दिनांक 20.03.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रशांत पूनिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-02, सीकर के स्थान पर निम्न अधिकारी की निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/ श्रीमती /सुश्री	मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	13-04-2025	श्रीमती अनिता चौधरी	96609-68632	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर)

नोट:-शेष रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 338 दिनांक 20.03.2025 यथावत रहेगा।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

क्रमांक-420-426

दिनांक-09.04.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
- 2- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 01 व 02, सीकर, रींगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ, दांतारामगढ, क्रम संख्या-01 व 02 नीमकाथाना, क्रम संख्या-01 व 02 श्रीमाधोपुर
- 3- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/ क्रम 1, 2 व 3, सीकर/ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट प्रकरण, सीकर/न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ, खण्डेला, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, धोद, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर
- 4- श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीकर समस्त थानाधिकारी को सूचित करने बाबत
- 5- प्रभारी अधिकारी वायरलेस शाखा, सीकर
- 6- अध्यक्ष, बार संघ, सीकर
- 7- जिला आबकारी अधिकारी, सीकर समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत
- 8- सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)